खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय

खण्ड–घ प्रथम तल विन्ध्याचल भवन मध्यप्रदेश–मध्यप्रदेश

क्रमांक 2245 /खाद्य/2021 भोपाल, दिनांक 15-1-21

प्रति,

कलेक्टर (समस्त)
मध्यप्रदेश

विषयः–राशन कार्ड/डुप्लीकेट राशन कार्ड जारी होने के संबंध में।

संदर्भः–प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के निर्देश दिनांक 16.12.2020

विषयांतर्गत प्रदेश में एक स्थान पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त बी.पी.एल श्रेणी के कोरे राशनकार्ड अनाधिकृत व्यक्ति के पास मिलने की घटना प्रकाश में आयी हैं, जबकि म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 की कंडिका 4(1) के अनुसार भौतिक अथवा इलेक्ट्रोनिक रूप से राशनकार्ड जारी करने का प्रावधान है। हितग्राहियों का सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ आनलाइन जारी पात्रता पर्ची (ई–राशन कार्ड) के द्वारा प्रदाय किया जा रहा है। अतः मेनुअली राशनकार्ड जारी किया जाना अप्रासंगिक हो गया है।

अस्तु म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक 257 भोपाल, दिनांक 07 जून, 2017 द्वारा लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 में संशोधन कर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सेवायें क्रमांक 9.1 से 9.4 में बी.पी.एल/ए.पी.एल राशन कार्ड जारी होने की सुविधाओं को हटाकर नवीन पात्रता पर्ची जारी होना, नाम सुधार, नाम जोडना, नाम काटना, पता परिवर्तन एवं स्थानांतर (म.प्र. के अंदर) की सुविधाओं को जोडा गया है।

अतः अनुरोध है कि जिलों में संबंधितों को राशन कार्ड/डुप्लीकेट राशन कार्ड जारी नहीं करने के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें।

JRP

संचालक
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक 2246 /खाद्य/2021 भोपाल, दिनांक 15-1-21

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. जिला आपूर्ति नियंत्रक समस्त जिला मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. जिला आपूर्ति अधिकारी, समस्त जिला मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

JRP

संचालक
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
मध्यप्रदेश, भोपाल

Scanned with OKEN Scanner